



Case No. 45/2025

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

SUMMONS

फाइल सं.: NCST/ATY-1801/BR/1/2024-APCR-RU-IV

- | | |
|---|--|
| 1 श्री दिनेश कुमार राय
जिला पदाधिकारी,
जिला - परिश्वमी चम्पारण,
कार्यालय जिला पदाधिकारी,
समाहरणालय भवन,
परिश्वमी चम्पारण, बिहार -845401
Email Id: dm-bettiah.bih@nic.in | 2 श्री अनिल कुमार सिंह
पुलिस अधीक्षक,
जिला - बगहा,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय
बेतिया - वाल्मिकीनगर रोड, गंडक कॉलोनी,
सुखबन, बगहा, बिहार 845101
Email Id: sp-bagaha-bih@nic.in |
|---|--|

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए निम्नलिखित मामलों का अन्वेषण करने का निश्चय किया है, अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा के समक्ष दिनांक **17/04/2025 को 04:00 P.M** बजे, आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति एतद्वारा अपेक्षित है। आप आयोग द्वारा जांच के लिए संबंधित दस्तावेज़ अपने साथ लायें।

मामलों का संदर्भ :-

- संदर्भ: (i) श्री रामनारायण शाह गौड़, पश्चिमी चंपारण की दुकान को तोड़ने तथा उनको एवं उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट तथा पुलिस द्वारा रंगदारी अधिनियम के तहत कस्टडी में लेने से संबंधित।
- (ii) आयोग का सीटिंग नोटिस दिनांक 17.03.2025

यदि आप बिना किसी विधि-सम्मत के कारण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो आपको सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XVI के नियम 12 में दिये गए अनुपस्थिति के परिणाम भुगतने होंगे।

दिनांक 09/04/2025 को मेरे हस्ताक्षर और सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की मोहर से दिया गया।

मोहर



हस्ताक्षर

न्यायालय अधिकारी
Court Officer

National Commission for Scheduled Tribes
Loknayak Bhawan, New Delhi-110003

NK for upload



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फाइल सं.: NCST/ATY-1801/BR/1/2024-APCR

दिनांक : 09.04.2025

सेवा मे

श्री रामनारायण शाह गोण्ड,
वार्ड नंबर 5 जेपी चंपारन.,
जिला पश्चिमी चंपारण
बिहार.
मो: न. 9771771211

विषय: श्री रामनारायण शाह गौंड, पश्चिमी चंपारण की दुकान को तोड़ने तथा उनको एवं उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट तथा पुलिस द्वारा रंगदारी अधिनियम के तहत कस्टडी में लेने से संबंधित।

महोदय,

मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि डॉ आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने आपके प्रकरण में दिनांक **17.04.2025 समय 04.00 P.M** राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के मुख्यालय, छठा तल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में सिटिंग निश्चित की है, जिसमें सम्बंधित अधिकारियों तथा आपके साथ विचार विमर्श किया जायेगा।

आपसे निवेदन है कि उपरोक्त तिथि एवं समय की सिटिंग में आयोग में उपस्थित हों।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : hari.rammeena@ncst.nic.in

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading